समक्ष माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर निगरानी 1758-I/07

मै0 डायमंड सीमेंट्स
प्रो0 मैसूर सीमेंट्स लि0
नरसिंहगढ़ जिला दमोह म0प्र0 ---------रिवीजनकर्ता

बनाम

1- म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् कलैक्टर महोदय, दमोह ---------उत्तरवादीगण

विषय :- म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत द्वितीय अपील क्र0-407अ/02-2004-05 न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय सागर संभाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक-16/08/2007 के विरुद्ध रिवीजन।

मूल प्रकरण क्रमांक-142अ/02-1992-93 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी दमोह निर्णय दिनांक 11/12/1996
प्रथम अपील क्रमांक 7अ/02-2003-2004 न्यायालय श्रीमान् कलैक्टर महोदय, दमोह निर्णय दिनांक 30/12/2006.

आज दि. 29-10-07 को प्रस्तुत। राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

प्रकरण के तथ्य :- यह कि डायमंड सीमेंट प्रो0प्रा0 मैसूर सीमेंट प्रा0लि0 का सीमेंट बनाने का कारखाना नरसिंहगढ़ जिला दमोह में स्थित है।

यह कि शासन के द्वारा सीमेंट कारखाना स्थापित करनेहेतु ग्राम इमलाई प0ह0नं0 9 तहसील व जिला दमोह में स्थित निम्नलिखित भूमि भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई थी।

ख0नं0	144/3	164	187/2	295/2	273	162	172
रकवा	0.837	0.93	0.943	0.372	0.069		

कुल रकवा 7.528 हे0 में से 2.070 का परिवर्तित लगान3899=00 रुपये प्रतिवर्ष एवं प्रीमियम 2250=00 रुपया निर्धारित किये जाने का आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा 142अ/2-92-93 में पारित आदेश दिनांक 11/12/96 में निर्धारित किया गया तथा डायवर्सन लगान एवं प्रीमियम की राशि सन् 92-93 से मांग की गई।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

11

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1758—एक / 2007 जिला—दमोह

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
4—2—15 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	